उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

संख्या-06/2026/I/1196008/2026/71-1001/1799/2019

लखनऊ : दिनांक: 06 जनवरी 2026

कार्यालय-ज्ञाप(शुद्धि पत्र)

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-155/2025/I/1157962/2025/71-1001 /1799/2019 दिनांक 28-11-2025 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी में एस0टी0पी0 / ई0टी0पी0 की स्थापना के कार्य हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आकलित लागत रू0 1776.14 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 4210-03-105-42-राजकीय मेडिकल कालेज, झाँसी के मानक मद-24 वृहत निर्माण कार्य मद में प्राविधानित बजट के सापेक्ष परियोजना की प्रथम किश्त के रूप में रू0 219.56 लाख (रू0 दो करोड़ उन्नीस लाख छप्पन हजार मात्र) वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है |

2- वित्तीय स्वीकृत विषयक उक्त शासनादेश के पृष्ठांकन में क्रमांक-6 एवं क्रमांक-7 पर निम्नवत उल्लेख हैं:-

6. निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0 (वि0/यॉ0, विंग), यूनिट-द्वितीय, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7. परियोजना प्रबंधक, सी0एण्ड डी0एस0 (वि0/यॉ0, विंग), यूनिट-द्वितीय, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।

3- उक्त शासनादेश दिनांक 28-11-2025 के त्रुटियुक्त पृष्ठांकन **क्रमांक-6** एवं **क्रमांक-7** को विलोपित किया जाता है। विलोपित पृष्ठांकन क्रमांकों के स्थान पर **"प्रबंध निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0,** लखनऊ" पढ़ा जाय।

4- शासनादेश संख्या-155/2025/I/1157962/2025/71-1001/1799/2019 दिनांक 28-11-2025 उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है। शासनादेश की शेष शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

कृतिका शर्मा
विशेष सचिव।

संख्या व तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, झाँसी।
5. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, झाँसी।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, झाँसी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7. प्रबंध निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0, लखनऊ।
8. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृतिका शर्मा)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।